बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन/11/आरोप (सीतामढ़ी)–36/2014..........7795(7) पटना, दिनांक– 2/8/25

:: अधिसूचना ::

श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने तथा खोज किए जाने पर उपस्थित नहीं होने, दूरभाष पर संपर्क होने पर शिवहर में रहने की सूचना देने परन्तु अक्सरहा पटना में ही रहने, लोकसभा आम चुनाव के अवसर पर मतगणना हॉल के निर्माण हेतु नक्शा समर्पित करने में लापरवाही बरतने तथा असंयमित भाषा का प्रयोग करने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–854(भ) दिनांक–22.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त विहित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–9182(भ) दिनांक–16.10.2019 द्वारा श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमण्डल, शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के तहत 'एक वर्ष के लिए इनके मासिक पेंशन से पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती' का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

(2) उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.6248/2021 दायर किया गया। उक्त में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–19.09.2023 कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"9. In view of the aforesaid discussions, this court does not find any illegality in the impugned order of the disciplinary authority by imposing penalty upon the petitioner.

10. Accordingly, the present writ petition stands disposed of."

(3) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के विरूद्ध श्री तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या–1343/2023, (अवधेश कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त में माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–04.02.2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"12. It may be observed here that neither any documentary nor oral evidence was led in course of enquiry nor does the report dated 1.2.2019 of the conducting officer giving finding of charge no.4 having been proved mentions about any oral or documentary evidence nor is there any discussion of any letter/communication having been exhibited or proved by any person. Thus, this finding of the conducting officer with respect to the charge is also clearly in teeth of the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Roop Singh Negi vs. Punjab National Bank & Ors., (2009) 2 SCC 570.

13. The aforesaid facts including there being no discussion whatsoever of any oral or documentary evidence leading to proof of charge no.4, the order of punishment of deduction of 5% of pension for a period of one year from the appellant who retired on 31.3.2018 is clearly illegal and not sustainable and the learned Single Judge erred in not interfering with the same.

14. As such, the order dated 19.9.2023 passed in CWJC No.6248 of 2021 by the learned Single Judge is not sustainable and is hereby set aside.

15. The prayer made by the appellant in the writ application is allowed.

16. The respondents are directed to pay the amount deducted from the pension of the appellant pursuant to the order of punishment to the appellant within a period of three months.

17. The appeal stands allowed."

कृ0पृ0उ0.................

(4) उक्त आदेश के अनुपालन के सन्दर्भ में अग्रेत्तर कार्रवाई के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

> "I donot find any substantial reason for assailing the order of the Division Bench. The judgment, therefore, is required to be complied forthwith by releasing withheld 5% pension for 01 year and consequential relief as admissible to the writ petitioner Sri Awadhesh Kumar Tiwari."

(5) न्यायादेश के अनुपालन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक–20.11.2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप दण्डादेश को निरस्त करने के प्रस्ताव में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया गया। तदोपरान्त विधि विभाग की सहमति एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उक्त अधिसूचना द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मामले को विधि विभाग प्रेषित किया गया। विधि विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि जिन मामलों में न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग पूर्व से सक्षम है, उन्हें उक्त समिति के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं है।

(6) मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त विधि विभाग द्वारा दिए गए उपरोक्त मन्तव्य के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा L.P.A. No.1343/2023 में पारित न्यायादेश दिनांक–04.02.2025 के अनुपालन में श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी अतिरिक्त प्रभार भवन प्रमण्डल, शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध एक वर्ष के लिए इनके मासिक पेंशन से पाँच प्रतिशत (5%) की कटौती संबंधी संसूचित दण्डादेश अधिसूचना संख्या–9182(भ) दिनांक–16.10.2019 को निरस्त किया जाता है। तदालोक में श्री तिवारी के पेंशन से कटौती की गई उक्त राशि एवं अन्य नियमानुकूल consequential benefits देय होगा।

(7) प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (सीतामढ़ी)–36/2014-7795(M)/ पटना, दिनांक–21/8/25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ई0–गजट कोषांग एवं वित्त (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना/सीतामढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/आरोप (सीतामढ़ी)–36/2014-7795(M) पटना, दिनांक–21/8/25

प्रतिलिपिः–श्री अवधेश कुमार तिवारी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता–डी0–1/01, पुणेन्दु नगर, फुलवारीशरीफ, पटना, पिन–801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप (सीतामढ़ी)–36 / 2014..........7795 (7) पटना, दिनांक– 21/8/25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अपर सचिव / सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर / प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 11 / आरोप (सीतामढ़ी)–36 / 2014..........7795 (7) / पटना, दिनांक– 21/8/25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

F:\Sumit Kumar Vatsa\2023\Prasant Sir\Prarup Nigrani